5

स्कूल और अनुशासन के द्वंद्व का झरोखा

शारदा कुमारी*

सकारात्मक अनुशासन – एक पहल

"अगर चिड़िया अपने आप को बंदी महसूस करती है, तो फ़िर उससे गाने की उम्मीद मत कीजिए।"

किसी लोकतांत्रिक देश की सफ़लता और गुणवत्ता पूर्णतया उसके नागरिकों की गुणवत्ता, उनके चरित्र, सत्यनिष्ठा, अनुशासन और विचारों, मूल्यों तथा मौलिक कर्तव्यों के प्रति उनकी निष्ठा और प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। यह सभी कुछ अधिकतर विश्वास और आस्थाओं की प्रणाली तथा व्यवहारपरक पद्धति वाली नागरिकता, संस्कृति से निर्धारित होती है। इस तरह की नागरिकता संस्कृति को विकसित एवं पुष्पित करने में शिक्षा सशक्त एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

बदलती हुई सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के रहते शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व पूरी तरह से औपचारिक विद्यालयी व्यवस्था पर आ गया है। समाज के हर तबके का स्कूली शिक्षा के प्रति रुचि और रुझान बढ़ा है। यहाँ गौरतलब बात है कि स्कूली शिक्षा का व्यापक प्रसार और विस्तार तो ज़रूर हुआ है पर वह अपने उद्देश्यों से भटकाव की स्थिति का भी सामना कर रही है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि,

- क्या विद्यालयी पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम समाज की मौजूदा ज़रूरतों को संबोधित कर पाने में सक्षम नहीं हैं?
- क्या अध्यापक अपने पेशे के प्रति पहले की तरह जवाबदेह नहीं रह गए हैं अथवा अपने कर्तव्यबोध से विमुख हो चले हैं? (यह सवाल अप्रत्यक्ष रूप से अध्यापकों की पूर्व तैयारी की ओर संकेत करता है।)
- क्या स्कूली प्रक्रियाएँ बच्चों के प्रति संवेदनशून्य हो चली हैं? यहाँ स्कूली प्रक्रियाओं से तात्पर्य हर उस स्कूली कवायद से है जो विद्यालय में सापेक्ष या निरपेक्ष रूप से जुड़ी है, जैसे – पाठ्यपुस्तकें (जो संवाद नहीं करती बच्चों से), कक्षा में पढ़ना और पढ़ाना, खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, मध्याह्न भोजन का बाँटना, आकलन के घेरे, प्रात:कालीन सभा का आयोजन आदि।
- क्या स्कूल बच्चों को बुनियादी सुविधाएँ, जैसे – सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ शौचालय, सुगम व सहज बैठने की व्यवस्था आदि देने में सक्षम एवं उदार है?

* *वरिष्ठ प्रवक्ता,* मंडल शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आर. के. पुरम्, नयी दिल्ली

यह सभी सवाल कर्तव्यों के प्रति उनकी निष्ठा और प्रतिबद्धता पर निर्भर करते हैं। यह सभी कुछ अधिकतर, विश्वास और आस्थाओं की प्रणाली और व्यवहार परक पद्धति वाली नागरिकता संस्कृति से निर्धारित होती है। इस तरह की नागरिकता संस्कृति को विकसित एवं पुष्पित करने में शिक्षा सशक्त एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

लोकतांत्रिक समाज विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण बुनियादों पर निर्भर करते हैं और शिक्षा लोकतांत्रिक नागरिक बनने के लिए उनमें आवश्यक ज्ञान, कौशल, आदतों एवं अभिवृत्तियों का विकास नहीं करती है जैसे कि आलोचनात्मक सोच, संवाद में भागीदारी, दूसरों के अधिकारों एवं ज़रूरतों को महत्ता देना, भिन्न समुदायों के साथ मेल-मिलाप से रहना, महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर सक्रियता, स्वयं द्वारा चयनित विकल्पों और निर्णयों के प्रति जवाबदेही महसूस करना और परिस्थितियों को उत्पन्न करने में सहायक होना, जिनमें सब इंसान अपनी क्षमताएँ पूर्ण रूप से विकसित कर सकें।

शिक्षा विचारों का आदान-प्रदान करना सिखाती है। संकुचित पूर्वाग्रहों, सूचना शून्य मतों और व्यक्तिगत पक्षप्रियता पर विश्वास करने के विचारों और विकल्पों को परखने के लिए पुन: चिंतन और विश्लेषण की आदतों का विकास करती है। इस प्रकार शिक्षा लोकतांत्रिक जीवन की उन सभी अंतरंग विशेषताओं जैसे मानवाधिकारों की रक्षा, अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार, सभी की खुशहाली और अंतत: 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' की भावनाओं को पोषित करती है। बीसवीं सदी के शिक्षाशास्त्री तो यहाँ तक कहते हैं कि शिक्षा बुनियादी तौर पर व्यक्ति के विकास और सामाजिक उत्थान के लिए है, वह नागरिकों को सामाजिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर करती है, जैसे– शक्तिहीन को सशक्त बनाना और यहाँ पर यह संकेत करना अनिवार्य होगा कि बुनियादी सुविधाओं का अभाव शिक्षण प्रक्रियाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

- क्या अध्यापक बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को नकार कर उनसे एक 'आज्ञाकारी' और 'चुप्पी की संस्कृति' का पोषण करने वाले वयस्क की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा करने लगे हैं?
- क्या विद्यालय का माहौल बच्चों के दृष्टिकोण से हिंसात्मक हो चला है? और बच्चों से 'अनुशासन' के उस स्वरूप की माँग करता है जो उनकी सहज प्रवृत्तियों पर न केवल अंकुश लगाता है अपितु उनकी अस्मिता व मानवीय गरिमा पर प्रहार भी करता है।

वर्तमान दौर के विद्यालयी परिवेश के प्रति बनी आम जनधारणा इन सभी सवालों के उत्तर 'हाँ' में देती है। यदि ऐसा है तो कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि शिक्षा बच्चों को लोकतांत्रिक नागरिक बनाने की दिशा में कोई कार्य कर रही है?

इस तथ्य को 'विद्यालय अनुभव कार्यक्रम' के तहत किए गए अवलोकन पुष्टि करते हैं कि बच्चों के लिए विद्यालय का माहौल 'दमघोटू' हो चला है, यहाँ पर 'दमघोटू' माहौल से तात्पर्य ऐसे विद्यालयी परिवेश से है जो बच्चों को शारीरिक, मानसिक व भावात्मक किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं दे पा रहा और किसी न किसी रूप में उनके प्रति हिंसात्मक है।

Prathmik Shikshak Jan 2015.indd 26 28-12-2015 AM 11:56:48

विद्यालयों में हिंसात्मक माहौल के स्थान पर सहज सुगम आनंदमयी वातावरण बने, इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कतिपय प्राथमिक विद्यालयों में 'सकारात्मक अनुशासन' अपनाने की पहल की गई। यह पहल स्थानीय प्रशासन द्वारा संचालित 12 विद्यालयों में अकादमिक सत्र 2011-12 में की गई, अभीष्ट परिणामों के रहते कार्य न केवल सतत् रूप से जारी है अपितु विद्यालय की कार्य संस्कृति ही ऐसी हो चली है कि बच्चों की उपस्थिति को नकारता 'जोखिमपूर्ण परिवेश' अब इन विद्यालयों का इतिहास बन चुका है।

इस रचनात्मक पहल के कार्यक्रम व कार्यपद्धति पर प्रकाश डालने से पहले 'सकारात्मक अनुशासन' की अवधारणा को समझना व परिभाषित करना अनिवार्य है।

सकारात्मक अनुशासन क्या है?

- सकारात्मक अनुशासन अध्यापक के द्वारा बच्चों की मानवीय गरिमा को पहचानने एवं उसका आदर करने के प्रति सहज स्वीकृति है।
- अध्यापकों का प्रभुत्व और नियम व आचार संहिता को बरकरार रखते हुए बच्चों को बिना पीड़ा पहुँचाए उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है।
- सकारात्मक अनुशासन बच्चे के आत्मसम्मान या उसके व्यक्तित्व अथवा शारीरिक अंगों पर चोट पहुँचाए बिना उसके अवांछनीय व्यवहार पर सवाल उठाकर यह संप्रेषित करना है कि उसका अमुक व्यवहार अस्वीकार्य है और उस व्यवहार को बदलने की गुंजाइश है।
- सकारात्मक अनुशासन दीर्घकालिक समाधान के रूप में बच्चों में आत्म-अनुशासन की भावना विकसित करता है।
- सकारात्मक अनुशासन बच्चों के साथ पारस्परिक सम्मान का रिश्ता बनाने का माध्यम है और सामाजिक अपेक्षाओं, नियमों और सीमाओं का स्पष्ट संप्रेषण है।
- यह बच्चों में विनम्रता, अहिंसा, अनुभूति, स्वाभिमान, दूसरों के प्रति आदर जैसी भावनाओं को पनपने के अवसर देता है, क्योंकि सकारात्मक अनुशासन में दंड, सज़ा, अस्वीकृति, अलगाव आदि के लिए जगह नहीं है।

सकारात्मक अनुशासन क्या नहीं है?

- सकारात्मक अनुशासन का यह मतलब नहीं है कि बच्चों को मनमानी करने दी जाए।
- सकारात्मक अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि बच्चों के लिए कोई नियम-कायदे या अपेक्षाएँ नहीं हैं। (जो हैं उन्हें बनाने, तय करने व क्रियान्वित करने में स्वयं उनकी भूमिका अपेक्षित है।)
- सकारात्मक अनुशासन का मतलब यह नहीं कि तत्कालीन प्रतिक्रियाएँ अपनाई जाएँ या फ़िर बच्चों को मारने-पीटने के वैकल्पिक दंड अपनाए जाएँ।

संक्षेप में कहना यह है कि अपेक्षित व्यवहार न करने, नियम कायदों का उल्लंघन करने की स्थिति में एक तत्कालीन समाधान के रूप में बच्चों को अध्यापक द्वारा शारीरिक या भावात्मक पीड़ा पहुँचाई जाती है, अधिक काम देकर, खेल से वंचित

Prathmik Shikshak Jan 2015.indd 27 28-12-2015 AM 11:56:48

करके, कान आदि ऐंठकर कक्षा से बाहर निकालकर आदि यह सब सकारात्मक अनुशासन के विरुद्ध हैं, और इस तरह का व्यवहार उनके आत्मसम्मान को चोट तो पहुँचाता ही है, उनमें हिंसक प्रवृत्ति भी पैदा करता है।

"अकसर वही लोग बच्चों को घर या स्कूल में दंडित करते हैं, जिन्हें बच्चे प्रेम करते हैं। यह अपने प्रभुत्व का दुरूपयोग है। वयस्क समझते हैं कि दंड देकर वे बच्चों से सही व्यवहार करवा सकते हैं, यह उनका भ्रम मात्र है। दंड देकर वे उनमें कुंठा ही पैदा करते हैं।"

कार्यस्वरूप एवं कार्यपद्धति –सकारात्मक अनुशासन की पहल के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थानीय प्रशासनीय इकाई द्वारा संचालित कुल 12 प्राथमिक विद्यालयों को न्यादर्श के रूप में लिया गया। उनके नाम इस प्रकार है:–

- नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, बापरौल, नयी दिल्ली
- नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, सहयोग विहार, नयी दिल्ली
- नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, ककरौला गाँव, नयी दिल्ली
- नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, सरोजनी नगर, नयी दिल्ली
- नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, बापूधाम, नयी दिल्ली
- नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, वाल्मीकि बस्ती, नयी दिल्ली
- नगर निगम प्राथमिक मॉडल विद्यालय, दिलशाद गार्डन, नयी दिल्ली
- नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, वज़ीरपुर, नयी दिल्ली
- नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, राजपुरा, नयी दिल्ली
- नगर निगम प्राथमिक मॉडल विद्यालय, जामा मस्ज़िद, नयी दिल्ली
- नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, झिलमिल कॉलोनी, नयी दिल्ली
- नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, अंबेडकर नगर, नयी दिल्ली

न्यादर्श के चयन के आधार एवं औचित्य– नगर निगम एवं नगर पालिका द्वारा संचालित विद्यालयों की संख्या 4,000 है। इस संख्या के सम्मुख न्यादर्श हेतु चयनित 12 विद्यालय नगण्य हैं। परंतु यह प्रयोग एक 'पायलट' के रूप में देखा गया और वित्तीय व्यवस्था पोषित करने वाली संस्था के साथ-साथ क्षेत्र विशेष के चयन के आधार इस प्रकार हैं –

1. ये विद्यालय दिल्ली की भौगोलिक स्थिति शहरी व ग्रामीण का प्रतिनिधित्व कर सकें।
2. चयनित विद्यालय दिल्ली की सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व कर सकें, जैसे कि कुछ विद्यालय सुविधा वंचित मलिन बस्तियों के हैं, कुछ पुन: आवासीय बस्तियों में, कुछ आभिजात्य इलाकों के बीच बसे इलाकों के विद्यालय हैं। ये सभी समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों व क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Prathmik Shikshak Jan 2015.indd 28 28-12-2015 AM 11:56:48

कार्यअवधि – प्रशासनिक अधिकारी से स्वीकृति के पश्चात् औपचारिक रूप से 1 अप्रैल 2012 को क्रियान्वित किया गया। संप्रति विद्यालयी प्रशासन स्वयं संचालन कर रहा है।

कार्यपद्धति (संक्षेप में) –

- पहला चरण – बच्चों के नज़रिए से पहचान करना कि विद्यालय में वे कब स्वयं को अपमानित महसूस करते हैं और किस तरह का वातावरण उन्हें जोखिम भरा लगता है।
- दूसरा चरण – अध्यापकों के नज़रिए से पहचान करना कि विद्यालय में वाँछनीय व्यवहार हेतु वे क्या तरीके काम में लाते हैं।
- तीसरा चरण – अध्यापकों के साथ कार्यशालाएँ, समूह – चर्चा।
- चौथा चरण – बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान।
- पंचम चरण – बाल संसद का गठन एवं शैक्षिक प्रक्रियाओं का संवर्द्धन, बाल-साहित्य का प्रावधान।
- छठा चरण – अभिभावकों के साथ बैठकें एवं चर्चा।

विभिन्न चरणों में यह पहचान की गई कि विद्यालय में कब-कब बच्चे भय और आतंक का सामना करते हैं और उन्हें विद्यालय 'खतरनाक' लगने लगता है। इसके लिए केंद्रक समूह चर्चा आयोजित की गई जिसमें कक्षा चार व पाँच के बच्चों को शामिल किया गया। यद्यपि अध्यापक के क्रोध से छोटी कक्षाओं के बच्चे अधिक शिकार होते हैं परंतु क्षणिक स्मृति के रहते वे बता नहीं रहे थे। अत: छोटी कक्षाओं के संदर्भ में अध्यापकों के व्यवहार का अवलोकन किया गया। इस संबंध में चेकसूची भी बनाई गई। क्षेत्र परीक्षण में यह सिद्ध हुआ कि इससे प्राप्त परिणाम 'अवलोकन' से प्राप्त परिणामों से सर्वथा भिन्न हैं।

विभिन्न चरणों से प्राप्त परिणाम (संक्षेप में) – विद्यालय की कौन सी प्रक्रियाएँ हिंसात्मक हैं – (बच्चों से की गई चर्चा के आधार पर)

1. **अध्यापकों का भाषायी व्यवहार** – लगभग सभी बच्चों ने कहा कि उनकी सामाजिक स्थिति, रंग, नैननक्शा आदि को लेकर अध्यापकों की टिप्पणियाँ उन्हें भीतर तक त्रस्त एवं आहत कर देती हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि उनके मन में विद्रोह फूटता है और वे अध्यापक की मौत तक की कामना करते हैं। कुछ ने कहा कि वे इन नकारात्मक टिप्पणियों को अपनी 'किस्मत' का हिस्सा मान लेते हैं, *"क्योंकि हम गरीब ठहरे तो ये बात तो सुननी ही पड़ेगी।"* और भी .... *"हमारे पापा चाकर हैं न, तो मैडम ता सेठानी है बे सबै बाते कह लेवै बोकि हमें सुधारना चाहबै।"*

बहुत से अध्यापकों के मुँह से अकसर निकली यह टिप्पणी –

"नालायक कहीं के, तुम किसी लायक नहीं, भेजा है या गोबर का भंडार।" या फिर *"अजी नाली के कीड़े हैं, सुधर थोड़े ही न सकते हैं।, सरकार तो वोट बैंक के चक्कर में है, वरना पढ़ना-लिखना इनके बस में कहाँ?"* आदि टिप्पणियाँ विद्यार्थियों के मानस पर गहरे तक असर करती हैं। और वे या तो विद्रोह

Prathmik Shikshak Jan 2015.indd 29 28-12-2015 AM 11:56:48

भरा रूख अपनाते हैं अथवा निराशावादी बन जाते हैं।

बच्चों ने स्वीकार किया कि 'मैडमों की अपेक्षा सर लोग अधिक गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व पुरुष दोनों ही समान रूप से अभद्र व नकारात्मक शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। मलिन बस्तियों के बच्चों (विशेषकर लड़कियों) ने बताया कि उनकी माताओं के काम को लेकर भी भरी कक्षा में टीका टिप्पणी की जाती है। उनके पास सिर झुकाकर सुनते रहने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं होता।

अध्यापकों का इस संदर्भ में कहना था कि *'वे अपने खुद के बच्चों को भी तो डाँटते हैं। और हम भी तो डाँट मार खा खाकर बड़े हुए हैं। हमें तो कोई मानसिक क्षति नहीं हुई। क्या उन्हें मनमानी करने दी जाए? इनकी उद्दंडता हम सहन करते हैं, हमें पता है कि इन्हें कैसे 'हैंडल' करना है।'*

"दो बोल प्यार के बोल दो तो ये तो सिर पर चढ़ जाते हैं।"

"अब मार-पीट तो सकते नहीं, छूना तक अपराध है। सज़ा भी नहीं दे सकते तो क्या पूजा-अर्चना करें इनकी।?"

अध्यापकों ने उदाहरण दिए कि जिस तरह कुम्हार मिट्टी को पीटता है, लोहार लोहे को पीटता है, उसी तरह इन्हें भी सुधारने के लिए कुछ जतन तो करने ही होंगे।

2. **स्थिति विशेष से वंचित कर देना** – विद्यार्थियों का कहना था कि उन्हें मारपीट से भी कहीं भयानक लगता है जब उन्हें कक्षा में सबसे पीछे जाकर दीवार की ओर मुँह करके खड़ा होने, कक्षा से बाहर निकाल देने, प्रात: कालीन सभा में कक्षा विशेष की पंक्ति से अलग खड़ा कर देने, किसी काम विशेष से वंचित कर देने के मौके आते हैं। वे बहुत ही अपमानित महसूस करते हैं। उनकी मुट्ठियाँ भिंच जाती हैं। वे मन ही मन अभद्र शब्द बोलते हैं गुरुजनों के प्रति वे कभी अपने छोटे भाई-बहनों को पीट तक डालते हैं, बर्तन पटकते हैं, पालतू पशुओं को गुस्से में आकर तंग करते हैं।

3. **अतिथियों की प्रतीक्षा** – वार्षिकोत्सव, गणतंत्र दिवस आदि महत्वपूर्ण अवसरों पर कई-कई दिन घंटों मेहनत करवाई जाती हैं। (इसमें पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है, कुछ बच्चों को हल्का-फुल्का काम देंगे व कुछ को भारी भरकम)

अतिथि जब तक नहीं आते उन्हें भूखा – प्यासा रहकर इंतज़ार करना पड़ता है, अच्छे बच्चे बनने का नाटक करना पड़ता है। धूप में कई-कई बार देर तक पी.टी. करके मुख्य अतिथि को दिखानी पड़ती है।

इस संदर्भ में एक रोचक तथ्य यह सामने आया कि लड़कों को आम तौर पर मुख्य अतिथि के स्वागत हेतु आगे नहीं लाया जाता। इस कार्य में लड़कियों को सजा-सँवार कर ही पेश किया जाता है।

4. **बुनियादी सुविधाओं का अभाव** – इस संदर्भ में गौरतलब बात यह है कि किसी भी बच्चे ने स्वत: बुनियादी सुविधाओं के अभाव की बात नहीं उठायी। संभवतया इस तरह के अभावों का सामना वे घर पर कर रहे होते हैं। संकेत देने पर लड़कियों ने बहुत ही संकोच के साथ यह बात उठाई कि उनके

Prathmik Shikshak Jan 2015.indd 30 28-12-2015 AM 11:56:48

पेट में मरोड़ उठने लगते हैं, कसमसाहट होती है पर मूत्रत्याग या शौच की व्यवस्था नहीं हैं।

"घर पे तो फेर भी बोतल भरि और दो-चार को लेकर दीवारन की ओट धरकै फिर गावें है पर इसकूल में तो किधरै जावै। चौकीदार मरा न जाने कहाँ से टपक पड़े। बस पेट पकर-पकर बैठि रह्यों जब तलक मुयि छुटिअ न हो आवै।"

5. **मानक भाषा बोलने का दबाव** – यद्यपि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बड़े सीधे सरल शब्दों में कहती है कि घर की बोली व स्कूल की बोली में फ़र्क को पाटा जाए, विद्यार्थियों को जबरन मानक भाषा बोलने के लिए न कहा जाए। इसके बावजूद भी विद्यालयों की स्थिति यह है कि 'मानक भाषा' बुलवाने का लोभ लगभग सभी अध्यापकों में पाया गया भले ही अपनी भाषागत अशुद्धियों से वे एकदम अनजान थे। बच्चों का कहना था कि वे बोलना चाहते हुए भी नहीं बोलते, क्योंकि यही कहा जाएगा कि "तमीज़दार भाषा का प्रयोग करो।"

6. **अभिव्यक्तियों अवसरों का नितांत अभाव** – पढ़ने-लिखने के संदर्भ में मानक/शुद्ध भाषा बुलवाने या लिखवाने की इच्छा से पहले ही अभिव्यक्ति ताले में कैद थी, अब *'तुम छोटे हो, नादान हो, अरे ये जाने है क्या दुनिया को'* आदि जुमलों से बच्चों की अभिव्यक्ति का गला ही घोट दिया जाता है। बच्चे वही बोलने के लिए अभिशप्त हैं जो उनसे बुलवाया जाता है। उससे इतर सोचने-समझने बोलने देने की आवश्यकता ही नहीं समझी जाती।

7. **पुरुष अध्यापकों की अश्लील हरकतें सहन करने का दबाव** – बहुल ही संकोच के साथ लगभग अस्पष्ट से शब्दों में बताया गया कि पुरुष अध्यापक 'गुंडों' वाली हरकतें करते हैं। वे माता-पिता से भी नहीं कह पातीं। कुछ दिन के लिए आना बंद कर देती है फ़िर वर्दी, वजीफ़े आदि के लालच में (कभी-कभी पढ़ाई के कारण भी) आना शुरू कर देती हैं। दो विद्यार्थियों ने जिस तरह की हरकतों का ज़िक्र किया वे रोंगटे खड़े करने वाली थीं।

8. **अध्यापकों के घरेलू कामों का हिसांत्मक बोझ** – यह भी चर्चा से निकला कि कुछ महिला अध्यापक (तीन स्कूलों में) कक्षा पाँच की 'बड़ी-सी दिखने वाली लड़कियों को स्कूली समय में अपने घर ले जाती हैं व घरेलू काम करवाती हैं। काम आमतौर पर 'श्रम' से जुड़े होते हैं जैसे – स्नानगृहों की टाइलों को रगड़वाना, फ़र्नीचर साफ़ करवाना, मसाले कुटवाना। बच्चियों का कहना था कि ये अध्यापिकाएँ उन्हें बहुत प्यार से बोलती हैं, होमवर्क आदि के लिए डाँटती भी नहीं हैं।

9. **बैल्ट-टाई आदि खरीदने की चिंता** – सरकार की ओर से वर्दी का पैसा मिलता है ये बच्चे जानते हैं। कुछ स्कूलों के बच्चों के ज़रिए यह पता चला कि उनके स्कूल में 'मैडम' 'टाई' व 'बैल्ट' खरीदने के लिए बाध्य करती हैं, यह उन्हें एक खास दुकान से ही खरीदनी पड़ती है और न लेने पर सज़ा मिलती कि 'प्रॉपर यूनिफ़ार्म कहाँ है? इस प्रकार एक विद्यालय में कॉपियाँ खरीदने के लिए भी बाध्य किया जाता है। आश्चर्यजनक बात यह

Prathmik Shikshak Jan 2015.indd 31 28-12-2015 AM 11:56:49

लगी कि किसी बच्चे ने 'सीखने-सिखाने' संबंधी प्रक्रियाओं के बारे में अधिक कुछ नहीं कहा। कुछ ने यह ज़रूर कहा कि उन्हें कक्षा में नींद बहुत आती है और पढ़ना अच्छा नहीं लगता है।

किसी-किसी समूह ने अध्यापकों के सौहार्दपूर्ण रवैये की भी बात की, जैसे- माता-पिता को काम दिलवाना, घर के सदस्य की बीमारी में डॉक्टरी मदद देना, दवाईयों से मदद करना, त्योहारों पर उपहार व मिठाई देना आदि। कुछ बच्चों ने बताया कि मैडमें पुराने बर्तन, कपड़े, खिलौनों आदि से भी मदद करती है। बिना पैसे लिए ट्यूशन भी पढ़ाती हैं।

समूह चर्चा से उभरे मुद्दों पर कार्यवाही

1. अश्लील हरकतें करने वाले अध्यापकों की पहचान कर उन पर मुख्य कार्यालय की ओर से सख्त कारवाई की गई। (संप्रति वे मुख्य कार्यालय में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, क्योंकि वे विद्यालय में किसी प्रकार की बदले की कारवाई न करें।)
2. बैल्ट व टाई बेचने को बाध्य करने वाली अध्यापिकाओं की पहचान कर उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की लिखित चेतावनी दी गई है।
3. घर ले जाकर घरेलू कार्य करवाने वाली अध्यापिकाओं के खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है।

सतत् रूप से जारी रहने वाले प्रावधान (संक्षेप में)

1. **अध्यापकों का अभिविन्यास कार्यक्रम एवं कार्यशालाएँ** – इन विद्यालयों के अध्यापकों के साथ कार्यशालाएँ सहभागी प्रशिक्षण पद्धति पर आधारित थीं। मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं –
   - बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ
   - बचपन की समझ
   - जेंडर संवेदनशीलता
   - बच्चे कैसे सीखते हैं
   - आकलन की प्रक्रिया
   - पाठ्यचर्या विषयों से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ
   - बाल साहित्य
2. **प्रदर्शन कक्षाएँ** – पाठ्यचर्यक विषयों को लेकर कक्षाओं में पढ़ने-पढ़ाने से जुड़ी प्रस्तुतियाँ दीं। किस प्रकार से भीड़ भरी कक्षाओं को संबोधित करना है, मिश्रित योग्यता वाली कक्षा को कैसे संबोधित करना है, सवालों को कैसे आमंत्रित करना है, विद्यालयी परिवेश को सहायक सामग्री के रूप में कैसे इस्तेमाल में लाना है आदि विषयों पर प्रस्तुतियाँ हुईं। समावेशी कक्षा कैसे हो, बहुभाषिता कैसे संसाधन बने? इस पर भी चर्चा हुई।
3. **पुस्तकालय व बाल-साहित्य** – वित्तदाता संस्था की ओर से प्रचुर मात्रा में बाल-साहित्य उपलब्ध करवाया गया। यह अभ्यास में लाया गया कि प्रतिदिन बच्चे पुस्तकों से अवश्य रूबरू हों। शुरू-शुरू में पुस्तकें घर ले जाने की मनाही थी, पर अब आठ स्कूल घर के लिए भी पुस्तकें देते हैं। इस कार्य संचालन की ज़िम्मेदारी कहीं-कहीं पर विद्यार्थियों के पास है।
4. **सुझाव पेटी व बाल संसद** – विद्यालय में लकड़ी की एक-एक सुझाव पेटिका रखी गई। शुरू-शुरू में यह भी कारगर नहीं थी-कारण?

Prathmik Shikshak Jan 2015.indd 32 28-12-2015 AM 11:56:49

- विद्यार्थी लिख नहीं पाते थे।
- गोपनीयता का विश्वास नहीं दिलाया गया था।
- पेटी प्रधानाचार्य के कमरे के बाहर थी।

इन पर विचार किया। अब स्थिति यह है कि प्रत्येक विद्यालय में 8-10 पत्र रोज़ मिलते हैं भले ही टूटी-फूटी भाषा हों। बाल संसद भी बनाई गई जिसमें शिक्षा मंत्री, भोजन मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री सभी बच्चे ही हैं।

यहाँ सावधानी बरती गई कि इन ज़िम्मेदारियों को सँभालने के लिए सभी बच्चों को मौके मिल पाएँ।

5. **विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन व अभिभावकों के साथ बैठकें** – शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का अध्याय 4 खंड 21 'विद्यालय प्रबंधन समिति' के गठन की अनुशंसा करता है। प्रशासन से 'नोटीफ़िकेशन' जारी करवाकर लोकतांत्रिक रूप से प्रबंधन समिति का गठन किया गया व विद्यालयी कार्यों के प्रति उनकी जबावदेही भी सुनिश्चित की गई। बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने, उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने, भद्र भाषा में उनके साथ पेश आने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
6. **शौचालय व पेयजल का प्रबंध** – संस्था द्वारा दिए गए वित्तीय सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में दो-दो शौचालय नए बनवाए गए। पुरानों को दुरुस्त किया गया। पानी की टंकी भी खरीदी गई जिससे पानी की कमी न हो। इसी प्रकार पेयजल हेतु भी एक-एक वॉटर कूलर दिया गया। रखरखाव का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति को दिया गया।

(नियमित सफ़ाई की व्यवस्था का उचित प्रबंधन नहीं हो पाया है।) इस प्रकार से गैरजोखिम वाला माहौल तैयार करने के लिए भिन्न-भिन्न स्तरों पर कार्य किए गए। संप्रति स्वैच्छिक संस्था ने स्वयं को पीछे कर लिया है। अब मंडलीय शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) पर उत्तरदायित्व है कि नियमित रूप से 'फॉलो-अप' करे तथा दूसरे विद्यालयों को भी इसी तरह का माहौल बनाने के लिए प्रोत्साहित करे।

लेख की समाप्ति एक वाक्य से करना चाहूँगी – बात बहुत नयी नहीं, तो पुरानी भी नहीं है।

एक विद्यालय में गुरु रवींद्रनाथ ठाकुर जी मुख्य अतिथि के रूप में गए। उन्होंने देखा सभी बच्चे वर्दी में हैं। सभी कतारबद्ध खड़े हैं। यंत्रवत् स्वागत गीत हुआ। अध्यापक के निर्देश पर बिना कतार तोड़े, बिना किसी तरह की हलचल के सभी चुप्पी साधे कक्षाओं में गए।

जलपान के बाद उन्हें कक्षाओं का मुआइना करने के लिए ले जाया गया। उनके आगमन पर बच्चे एक साथ उठते, समवेत स्वर में 'जयहिंद' कहकर बैठ जाते। न सवाल न कोई प्रतिक्रिया बस अपनी पुस्तक में दृष्टि गढ़ा देते। लगभग हर कक्षा में कुछ इसी तरह के दृश्य थे।

जाते समय मुख्य अध्यापिका ने जानना चाहा कि उन्हें विद्यालय कैसा लगा? गुरु रवींद्रनाथ जी ने प्रश्न के उत्तर में प्रश्न किया, "महोदया, क्या आपके विद्यालय में बच्चे भी पढ़ते हैं?"

इस सवाल के परिप्रेक्ष्य में हम अपने विद्यालयों के माहौल पर गौर करके आगे बढ़ सकते हैं।

❑❑❑

Prathmik Shikshak Jan 2015.indd 33 28-12-2015 AM 11:56:49